# पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षा–2025

P.S.S.T -2025

# निर्देशिका

2025–26


उत्तराखण्ड–संस्कृत–विश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY

हरिद्वार–दिल्ली–राष्ट्रिय–राजमार्गः

HARIDWAR-DEHLI-NATIONAL-HIGHWAY

पो0ः बहादराबादं, हरिद्वारम् 249402, उत्तराखण्डम्

P.O. -BAHADRABAD, HARIDWAR 249402

वेबसाइट–www.usvv.ac.in

ईमेल–bed@usvv.ac.in

# पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षा 2025–26

## PRE-SHIKSHA SHASTRI TEST 2025-26

'अ'

आवश्यकतिथयः/आवश्यक तिथियाँ

IMPORTANT DATE

# P.S.S.T 2025

# निर्देशिका

आवश्यक तिथियां–

| | | |
|---|---|---|
| 1. विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि | – | 06.04.2025 |
| 2. विश्वविद्यालय की वैबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि | – | 06.04.2025 |
| 3 विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र डाक द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि | – | 24.05.2025(सायं 05:00 बजे तक) |
| 4. प्रवेश परीक्षा की तिथि | – | 01.06.2025 (विश्वविद्यालय परिसर) |
| 5. प्रवेश परीक्षा उत्तर कुंजी विश्वविद्यालय वैबसाइट पर अपलोड करने की तिथि | – | 04.06.2025 |
| 6. अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नगत आपत्तियां दर्ज करने की अन्तिम तिथि | – | 07.06.2025 |
| 7. परीक्षा परिणाम तिथि (सम्भावित तिथि) | – | 12.06.2025 |
| 8. प्रथम काउन्सलिंग तिथि | – | जुलाई तृतीय सप्ताह 2025 |

आवश्यक सूचनाएं

- स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र ही स्वीकृत किये जायेंगे।
- प्रवेश परामर्श (काउसलिंग) विश्वविद्यालय परिसर हरिद्वार में होगी।
- विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देंखेwww.usvv.ac.in

'ब'

पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षाशुल्कम् P.S.S.T Fee

सामान्य, ई.डब्लू.एस एवं अन्य पिछड़ा वर्ग

रू. 600/–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

रू. 300/–

परीक्षाशुल्कं वित्तनियन्त्रकः उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालय इत्यस्य पक्षे डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषणीयम्।

प्रपूरितम् आवेदनपत्रम् अधोलिखितसंकेते प्रेषणीयम्

कुलसचिवः

उत्तराखण्ड–संस्कृत–विश्वविद्यालयः हरिद्वारम्

हरिद्वार–दिल्ली–राष्ट्रिय–राजमार्गः

पो0: बहादराबादं, हरिद्वारम् 249402, उत्तराखण्डम्

दत्तं शुल्कं नैव प्रत्यर्पणीयम्      दी गई फीस लौटाई नहीं जायेगी।

अधिक जानकारी के लिए इन दूरभाष संख्याओं पर (प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक) सम्पर्क कर सकते हैं।

9084023707, 9411559454, 9917189039, 9045378835, 8279560013

कुलपतिलेखन्या

प्रेयांसो विद्यार्थिनः!

शिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था
संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता।
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां
धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव।।

इत्थं मालविकाग्निमित्राख्यनाटकनिबद्धं महाकविकालिदासवचनानुसारं विषयविशेषज्ञता सम्प्रेषणदक्षता चेत्युभयं शिक्षकस्यावश्यकगुणं वर्तते। एवम्विधोऽध्यापक एवोत्कृष्टस्य कौशलान्वितस्य च विद्यार्थिनो निर्माणं कर्त्तुं प्रभवति। शिक्षाशास्त्रस्योद्देश्यं ज्ञानविज्ञानवतां कौशलोन्मुखानां चरित्रवतां च शिक्षकाणां निर्माणेन सहैव प्रबुद्धमानवीयसमाजस्य निर्माणमपि विद्यते। विश्वविद्यालयस्यास्य शिक्षाशास्त्रविभागोऽयमस्योद्देश्यस्य प्राप्त्यर्थं दशाधिकद्विसहस्रतमवर्षादद्य यावत् शिक्षकप्रशिक्षणकार्यक्रमममुं संचालयन्नस्ति। एवम्प्रकारेण विभागादस्मात् प्रशिक्षणमादाय नैकछात्राध्यापकाः सर्वकारीयोद्योगेषु सेवारतास्सन्ति। विभागेऽस्मिन् शिक्षाशास्त्रिशिक्षाचार्यविशिष्टाचार्यविद्यावारिधिप्रभृतिपाठ्यक्रमाः सुयोग्यप्राध्यापकानां मार्गदर्शने संचाल्यन्ते। छात्राध्यापकानां सर्वाङ्गीणविकासायास्मिन् विभागे शिक्षामनोविज्ञानशैक्षिकप्रौद्योगिकीसंस्कृतभाषासम्बद्धप्रयोगशालाश्च विनिर्मितास्सन्ति यासु ते प्रशिक्षणं सम्प्राप्य स्वीयविभिन्नशिक्षणप्रशिक्षणकौशलानि विकासयन्ति। 'ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे' इत्युक्तिं समर्थयन्नयं विभागः छात्राध्यापकानां प्रयोगानुप्रयोगवैशारद्यसम्पादनाय विद्यालयशिक्षणाभ्याससंस्कृतभाषाकौशलविशिष्टव्याख्यानवाग्वर्धिनीसभासंगोष्ठीप्रभृतिकलापान्नपि यथासमयं सम्पादयति येन छात्राणां बौद्धिकविकासेन सहैव सामाजिकविकासोऽपि सम्भवेत्। उत्तराखण्डराज्यस्य द्वितीयराजभाषारूपेण प्रथितायाः संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारैकदृष्ट्या विभागे शिक्षणप्रशिक्षणस्य माध्यमः संस्कृतभाषा वर्तते येन अस्माकं प्राचीनगुरुकुलव्यवस्था पुनरुज्जीवनं सम्प्राप्य पुनरपि न केवलं भारतस्य प्रत्युत समग्रविश्वस्यापि मार्गदर्शनं करिष्यतीति।

मम द्रढीयान् विश्वासो वर्तते यत् विभागेऽस्मिन् प्रशिक्षणं प्राप्तुकामाः भविष्णुशिक्षकाः स्वीयज्ञानविज्ञानमाध्यमेन राष्ट्रेऽस्मिन् भारतीयशिक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे महद्योगदानं प्रदास्यन्तीति।

प्रो.दिनेशचन्द्रः शास्त्री
कुलपतिः

ले. जनरल गुरमीत सिंह
माननीयः राज्यपालः

प्रो. दिनेशचन्द्रः शास्त्री
कुलपतिः

श्री गिरीशकुमार अवस्थी
कुलसचिवः

श्री लखेन्द्रगौथियालः
मुख्यवित्तनियंत्रकः

प्रो. मोहनचन्द्र बलोदी
आचार्यः

डॉ. अरविन्दनारायणमिश्रः
प्रभारी विभागाध्यक्षः

डॉ. प्रकाशचन्द्र पन्तः
सहायकाचार्यः

डॉ. विन्दुमती द्विवेदी
सहायकाचार्यः/संयोजकः

डॉ. सुमन प्रसाद भट्टः
सहायकाचार्यः

श्रीमती मीनाक्षीसिंह रावतः
सहायकाचार्यः

## आवश्यक–सूचनाः

01. अभ्यर्थिनः/अभ्यर्थिन्यः संसूच्यन्ते यत् ते पूर्वं पुस्तिकामिमां ध्यानेन पठेयुः। अस्यां पुस्तिकायाम् अनेकास्सूचनास्सन्ति, याः प्रवेशसम्बन्धिन्यः सन्ति।

02. आवेदनपत्रे/ संगणकपत्रे (ऑनलाइन आवेदनपत्रे) प्रदत्तानां सूचनानां सत्यापनं परीक्षासमये प्रवेशसमये च भविष्यति। यदि कापि सूचना असत्या भवति तर्हि तस्याः दोषभाजनं विध्यनुसारं (कानूनतः) अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी स्वयं भविष्यति। अभ्यर्थिनः/अभ्यर्थिन्याः प्रवेशो निरस्तोऽपि भवितुं शक्नोति सः/सा परीक्षायाः वंचितोऽपि भवितुं शक्नोति।

03. आवेदनपत्रे नाम दिनांकोल्लेखपूर्वकं स्वच्छं नूतनं च छायाचित्रं संश्लेषणीयम्। त्रिमासपूर्वं स्वीकृतच्छायाचित्रं पुरातनं भविष्यति। परीक्षासमये प्रवेशसमये वा यदि छायाचित्रं मुखाकृत्या न मिलति तर्हि अभ्यर्थिनः/अभ्यर्थिन्याः निष्कासनं प्रवेशनिरस्तीकरणं च सम्भविष्यति। वैधानिकीकार्यव्यवस्थापि कुर्तं शक्यते।

04. प्रवेशपरीक्षायाः वरीयतासूची केवलं 2025–26 वर्षस्य कृते एव मान्या भविष्यति।

05. पूर्णरूपेणपूरितमावेदन–पत्रं दिनांक 24 मई, 2025 सायं 5:00 वादनपर्यन्तं, कुलसचिव, उत्तराखण्ड–संस्कृत–विश्वविद्यालस्य कार्यालये नूनमेव प्राप्नुयात्। अन्तिमतिथेः परं प्राप्तावेदनपत्रेषु विचारो न करिष्यते।

06. आवेदनपत्रस्योपरि स्थूलाक्षरैः स्वकीयनाम्नः प्रथमाक्षरम् आंग्लभाषायां यथा -SURESH= (S)अवश्यं लेखनीयम्। तथा च श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ0 च न लेखनीयम्।

07. आरक्षणाधिभारांकप्राप्तये तथा च परिसरीय प्रमाणपत्रस्य/प्रमाणपत्राणां प्रारूपं निर्देशिकायां प्रदत्तमस्ति। अभ्यर्थी तदनुसारं स्वकीयानि प्रमाणपत्राणि कम्प्यूटरद्वारा टंकयित्वा सत्यापितप्रतिलिपिमेव प्रेषयेयुः।

08. यदि अभ्यर्थी प्रवेशावेदनपत्रेण सह आरक्षणस्य अधिभारांक–सम्बन्धिसत्यापितं प्रमाणपत्रं न प्रेषयति तर्हि प्रवेश समये/प्रवेशपरामर्शसमये वा तत्सम्बन्धिप्रमाणपत्रं मान्यं न भविष्यति।

09. छायाचित्राणि निर्यासेन एव संश्लेषणीयानि।

10. आवेदनपत्रं विश्वविद्यालयस्य जालपुटलः (www.usvv.ac.in) तः डाउनलोड कृत्वा सम्यक् रूपेण निर्धारितशुल्कस्य धनादेशं निर्माय च प्रेषणीयम्।

उत्तराखण्ड–संस्कृत–विश्वविद्यालयः हरिद्वारम्

1. परिचयः

उत्तराखण्डशासनेन अधिसूचना संख्या 486/विधायी एवं संसदीयकार्यम्/ 2005 द्वारा हरिद्वारे उत्तराखण्ड–संस्कृत–विश्वविद्यालयः संस्थापितः। राज्यस्थापनायाः अनन्तरं प्रदेशस्य सर्वे संस्कृतमहाविद्यालयाः, ये सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयेन सह सम्बद्धाः आसन्, ते उत्तराखण्ड–संस्कृत–विश्वविद्यालयेन सम्बद्धास्संजाताः। उत्तराखण्डराज्यं भारतगणराज्यस्य प्रथमं राज्यमस्ति येन संस्कृतभाषा द्वितीयराज–भाषारूपेणोद्घोषिता। उत्तराखण्ड–संस्कृत–विश्वविद्यालयः संस्कृत केन्द्ररूपेण सुपरिचिता प्रमुखा च संस्था वर्तते।

संस्थैषा राष्ट्रियाध्यापकशिक्षापरिषदा, विश्वविद्यालयानुदानायोगेन, अखिलभारतीयविश्वविद्यालयसंघेन चापि मान्यता प्राप्तास्ति। प्रदेशस्य राज्यविश्वविद्यालयरूपेणैष विश्वविद्यालयः स्थापितोऽस्ति। शास्त्रशिक्षणपरम्परायाः संरक्षणं कुर्वन् आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये संस्कृतशिक्षकनिर्माणाय विश्वविद्यालयोऽयं कार्यं करोति। विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्रविभागद्वारा सम्पूर्णेऽपि उत्तराखण्ड–राज्ये संस्कृत–छात्राध्यापकानां माध्यमेन संस्कृत–शिक्षा नूतनां दिशं प्राप्स्यति। शिक्षाशास्त्रिकक्षायां प्रवेशः पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षायाः माध्यमेन भविष्यति। परीक्षायाः माध्यमः संस्कृतं भविष्यति।

2. शिक्षाशास्त्री (बी0एड्0) पाठ्यक्रमः

शिक्षाशास्त्रीपाठ्यक्रमः द्विवर्षीयः तत्र शिक्षणस्य परीक्षायाश्च माध्यमः केवलं संस्कृतम् एव अस्ति। आवेदनपत्रपूर्ति–समये अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी सम्यक् विचार्य एव आवेदनं कुर्यात्। पश्चात् प्रवेशानन्तरं शिक्षणपरीक्षयोः माध्यमं संस्कृतमेव भविष्यति। अभ्यर्थी विश्वविद्यालयनिर्दिष्टम् द्विशैक्षणिकवर्ष–परिमितं नियमितं पाठ्यक्रमम् उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालये पठिष्यति। नियमितपाठ्यक्रम इत्यस्य आशयः एवमस्ति–

(क) उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालये द्वे शैक्षिकवर्षे यावत् न्यूनातिन्यूनं 80 प्रतिशतव्याख्यानेषु उपस्थितिः अनिवार्या। सम्पूर्णावधौ केवलं विंशतिदिनानाम् अवकाशाः (आकस्मिक एवं रुग्णावकाशः) नियमानुसारं विभागाध्यक्षस्य/कुलपतेः विशेषानुमत्या प्रदीयते। सूचनां तथा अनुमतिं बिना दशदिनानां निरन्तर–अनुपस्थितिकारणात् छात्रस्य नाम निरस्तं भवति।

(ख) शिक्षणस्य द्वौ विषयौ ग्रहीतव्यौ 1. संस्कृतम् अनिवार्यम्

2. आधुनिको विद्यालयविषयः यथा हिन्दी, अग्रेजी, सामाजिकविषयः, एतेषु एकः।

(ग) पाठ्यक्रमस्य द्वौ भागौ– 1. सैद्धान्तिकः 2. प्रायोगिकः। उभयभागयोः प्रश्नपत्रसंख्यां न्यूनतमांकाश्च समये–समये उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालय द्वारा विहितपाठ्यक्रमानुसारं भविष्यन्ति।

पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षाकृते न्यूनतमयोग्यता

(1) पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षायां प्रवेशार्थम् अभ्यर्थी 10+2+3शिक्षाप्रणालीमनुसृत्य शास्त्री अथवा संस्कृतसहितं बी.ए/आचार्य/एम. ए. (संस्कृत) परीक्षायां तत्समकक्षपरीक्षायां वा न्यूनातिन्यूनं पंचाशत् (50) प्रतिशतांकैः उत्तीर्णः स्यात्।

(2) कस्माच्चित् विश्वविद्यालयात् अथवा मान्यताप्राप्तपरीक्षासंस्थायाः न्यूनातिन्यूनं (50) पंचाशत्प्रतिशतांकान् लब्ध्वा द्विवर्षीयशास्त्री/बी.ए. (संस्कृतसहितं)/ सेतुपरीक्षायाम्/आचार्यप्रथमवर्षपरीक्षायाम्/एम.ए. (संस्कृत) प्रथमवर्षपरीक्षायां वा उत्तीर्णता अपेक्षिता। अपेक्षितपंचाशत्प्रतिशतगणनार्थ शास्त्री/बी.ए. लब्धांका एव गणनीयाः।

(3) अनुसूचितजातिजनजातीयानां कृते शास्त्री/बी.ए(संस्कृत)/आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) परीक्षायाम् पंचचत्वारिंशत्प्रतिशतं(45) अर्हताऽस्ति। अन्याः व्यवस्थाः सामान्याः तिष्ठन्ति।

(4) परीक्षाफलविलम्बे सति प्रवेशकाले साक्षात् अथवा गोपनीय–परीक्षोत्तीर्णताप्रमाणमवश्यमेव प्रदर्शनीयं स्यात् अन्यथा प्रवेशार्हता नैव भविष्यति।

(5) शास्त्री/बी.ए. कक्षायां संस्कृतातिरिक्तं कस्यचिद् विद्यालय–विषयस्य/भाषायाः पूर्णप्रश्नपत्ररूपेण अध्ययनं कृतं स्यात्।

(6) आहत्य शिक्षणवर्षाणामवधिः न्यूनतमः 15 वर्षीयः भवेत्।

(7) अप्रकाशित–परीक्षापरिणामवताम् अभ्यर्थिनाम्/अभ्यर्थिनीनां अस्थायी–प्रवेशविषयं विचारो नैव भविष्यति।

टिप्पणी– (1) आरक्षितवर्गस्य छात्रेभ्यः/छात्राभ्यः (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./आर्थिक रूप से पिछ़डा वर्ग) विकलांगछात्राय/छात्रायै न्यूनतमर्हतायां नवीनशासनादेशानुसारेण शैथिल्यं प्रदास्यते।

(2) परीक्षापरिणामघोषणानान्तरं तेषां/तासाम् अभ्यर्थिनाम्/अभ्यर्थिनीनां प्रवेशो भविष्यति, ये/याः अर्हतासम्बन्धीनि मूलप्रमाण–पत्राणि प्रवेशसमये प्रस्तोष्यन्ति।

4.परीक्षाकेन्द्राणि

परीक्षाकेन्द्रनिर्धारणाय अन्तिमनिर्णयाधिकारः उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य भविष्यति। केन्द्रनिर्धारणानन्तरं किमपि परिवर्तनं न भविष्यति। निर्धारितकेन्द्रे एव परीक्षा दातव्या। परीक्षा विश्वविद्यालयमुख्यालयहरिद्वारस्य केन्द्रेषु भविष्यति।

5.चयनविधिः

शिक्षाशास्त्रिकक्षायां प्रवेशः पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षेत्याख्या लिखितप्रतियोगिता–परीक्षया भविष्यति। सर्वे प्रवेशार्थिनः विहिते पत्रके आवेदनं कुर्युः। सवैरर्हच्छात्रैः लिखितपरीक्षायां सम्मिलितैर्भाव्यम्। परीक्षाभवने परीक्षार्थिनः प्रत्यभिज्ञापत्रं, कम्प्यूटरपत्रं च केन्द्राध्यक्षसमीपे प्रेषयिष्यते। प्रवेशार्थं योग्यतासूची निर्मिता भविष्यति। या हि विश्वविद्यालय–भवने प्रदर्शिता भविष्यति।

6.(अ) आरक्षितस्थानानि

(1) शिक्षाशास्त्रिपाठ्यक्रमे विश्वविद्यालयपरिसरे निर्धारितच्छात्रसंख्या पंचाशत् अस्ति।
(2)शिक्षाशास्त्रिकक्षायां निर्धारितस्थानानां 80 प्रतिशतं स्थानानि परम्परागतधारायाः शास्त्री/आचार्यपरीक्षायां अथवा तत्समकक्षपरम्परागतपरीक्षायाः छात्राणां कृते, 20 प्रतिशत स्थानानि आधुनिकधारायाः (बी.ए., एम.ए.) छात्राणां कृते आरक्षितानि सन्ति।
(3) बी.ए. (संस्कृत) परीक्षामुत्तीर्य आचार्यद्वितीयवर्ष–परीक्षोत्तीर्णः अभ्यर्थी परम्परागत–धारायामेव गणयिष्यते।
7.(ब) आरक्षितस्थानानि
(क) द्वयोः धारयोः (परम्परागताधुनिकयोः) आहत्यसंख्यायाम् उत्तराखण्डसर्वकारस्य नियमानुसारम् ऊर्ध्व–आरक्षणम् अधोलिखितानुसारं दास्यते–

| | |
|---|---|
| (1) अनुसूचितजातिः | 19 प्रतिशतम् |
| (2) अनुसूचितजनजातिः | 04 प्रतिशतम् |
| (3) अन्यपिछड़ावर्गः | 14 प्रतिशतम् |
| (4) आर्थिक रूपेण पिछड़ावर्गः(EWS) | 10 प्रतिशतम् |

(ख) ऊर्ध्वारक्षणश्रेणीषु शासनादेशानुसारं क्षैतिजम् आरक्षणं दास्यते।
(ग) उत्तराखण्ड–संस्कृत–विश्वविद्यालयस्य (हरिद्वारस्य) परिसरात् नियमिताध्ययनं कृते सति शास्त्री/आचार्यपरीक्षोत्तीर्णेभ्यः छात्रेभ्यः/छात्राभ्यः 20 प्रतिशतम् आरक्षणं प्रदास्यते। (विश्वविद्यालयपरिसरात् शास्त्री/आचार्य कक्षां पूर्णरूपेणाध्ययनं कृत्वा उत्तीर्णेभ्यः छात्र/छात्राभ्यः एव लाभोऽयं प्रदास्यते।)

(घ) एन.एस.एस. सम्बन्ध्यधिभारांकाः राष्ट्रिय–सेवायोजनाप्रकोष्ठोत्तराखण्डशासनदेहरादूनस्य दिशा निर्देशानुसारं दास्यन्ते।

टिप्पणी– आरक्षण–अधिभारसम्बन्धिलाभार्थं प्रमाण–पत्रं निर्धारितप्रारूपे एव संयोजनीयम्।

8.आवेदनात् पूर्वं ध्यातव्यानि तथ्यानि

1. केवलमर्हच्छात्रैः लिखितपरीक्षायां सम्मिलितैर्भाव्यम्। यदि कश्चिद् अर्हः नास्ति परन्तु पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षायां सम्मिलितः भवति तर्हि परिणामार्थं स व्यक्तिगतरूपेण स्वयम् उत्तरदायी भविष्यति।
2. शिक्षाशास्त्रिपाठ्यक्रमः (बी0एड0) एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यताप्राप्तः अस्ति। विश्वविद्यालयपरिसरे निर्धारितसंख्यानुसारं योग्यताक्रमानुसारम् एवं प्रवेशः प्रदास्यते।
3. प्रवेशार्हता निरीक्षणम् आरक्षणादीनां निश्चयश्च एतत्सर्वं विश्वविद्यालयमुख्यालयस्याधीनं वर्तते।
4. प्रवेशविषये विश्वविद्यालयस्य कुलपतेः निर्णय एव अन्तिमः।
5. न्यायिकविषयेषु हरिद्वारन्यायालयस्य एव क्षेत्राधिकारः भविष्यति।
6. उत्तरपुस्तिकायाः पुनः मूल्यांकनं नैव भविष्यति।
7. पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षायाः प्रवेशसमये प्रवेशपत्रं बिना प्रवेशः न प्रदास्यते।

9.प्रश्नपत्र – रूपरेखा

प्रवेशपरीक्षा 200 अंकात्मिका भविष्यति। यस्यां चतुर्षु खण्डेषु 50–50 अंकाना बहुविकल्पीयाः वस्तुनिष्ठात्मकाः प्रश्नाः भविष्यन्ति।

| | | |
|---|---|---|
| (क) संस्कृतभाषादक्षता | – | 50 अंकाः |
| (ख) सामान्यज्ञानम् | – | 50 अंकाः |
| (ग) मानसिकयोग्यता | – | 50 अंकाः |
| (घ) शैक्षिकाभिवृत्तिः शैक्षिकाभिचेतना च | – | 50 अंकाः |

पूर्वशिक्षाशास्त्री (बी.एड.) परीक्षा (**PSST**) संशोधितः पाठ्यक्रमः

(क) संस्कृतभाषादक्षता 50 प्रश्न

उच्चारणस्थानम्। सन्धिः (स्वरव्यंजनविसर्गाः)। शब्दरूपणि–अजन्तपुल्लिंगस्त्रीलिंगनपुंसकलिंगे–अकारान्तः, आकारान्तः, इकारान्तः, ईकारान्तः, उकारान्तः, ऊकारान्तः, ऋकारान्तः, एकारान्तः, ऐकारान्तः, ओकारान्तः, औकारान्तः ।सर्वनामशब्दाः–अस्मद्, युष्मद्, इदम्, तत्, यत्, सर्व्, किम् (त्रिषु लिंगेषु)।हलन्त्पुल्लिंग स्त्रीलिंगनपुंसकलिंगे–तकारान्ताः–(भवत्, जगत्, सरित्) नकारान्ताः–राजन्, पथिन्,सीमन्, नामन्) षकारान्तः–प्रावृष्, सकारान्तः–पयस्, विद्वस्, चकरान्तः–वाच्। धातुरूपाणि–(पचंलकारेषु – लट्, लोट्, लृट्, लङ् विधिलिङ्) भू, हस्, पा, दृश्, गम्, घ्रा, पच्, स्मृ, श्रु–श्रवणे, वस् सेव (आत्मनेपदि) एध्–वृद्धौ, अद्–भक्षणे, सु, हन्, भी, दिव्, इष्, रुध, तन्, क्री, चुर्। तद्धित–अपत्यार्थक– मतुप्, वतुप्,। कृदन्ताः– क्त्वा, ल्यप्, अनीयर, शतृ, शानच्। स्त्रीप्रत्ययाः, टाप्, ड.डीप्, ड़ीस्। समासाः (सर्वे)। प्रक्रियाः–णिच्, सन्। .वाच्यपरिवर्तनम् (कर्तृवाच्यम्, कर्मवाच्यम्, भाववाच्यम्)। कारकणि उपपदविभक्तयश्च। वाक्यशुद्धिः। रसाः। छन्दांसि– अनुष्टुप्, आर्या, वशंस्थम्, उपजातिः, शार्दूलविक्रीडितम्, स्रग्धरा, .त्रोटकम्, शिखरिणी, स्रग्विणी, मन्दाक्रान्ता, मालिनी। अलंकाराः– अनुप्रासः, यमकः, रूपकम्, विशेषोक्तिः, श्लेषः अर्थान्तरन्यासः। संख्याः–1 तः 100। काव्यलक्षणानि (मम्मट–विश्वनाथ–जगन्नाथ–आनन्दवर्धनादीनाम्)। काव्यभेदाः (दृश्यम् श्रव्यम् चम्पूश्च। काव्यसम्प्रदायाः। रूपकभेदाः। भारतीयदर्शनपरिचयः। प्रमुखसंस्कृतग्रन्थाः ग्रन्थकारश्चेति।

(ख ) सामान्यज्ञानम् 50 अंकः

| | |
|---|---|
| राष्ट्रियम् अन्ताराष्ट्रियं सामान्यज्ञानम् | 30 अंकः |
| उत्तराखण्डराज्यस्य सामान्यज्ञानम् | 20 अंकः |

समग्रावलोकनम्–

(भौगोलिकं, राजनैतिकं, सांस्कृतिकम्) राष्ट्रियप्रतीकाः। भारतीयेतिहासः (घटनाः तिथयः) भारतीयं संविधानम्। भारतीया संस्कृतिः। संयुक्तराष्ट्रसंघः अन्तर्राष्ट्रियं संगठनम्। क्रीड़ाः। राष्ट्रियस्तरस्यशैक्षिकसंस्थाः। विश्वस्तरीयाः महत्वपूर्णग्रन्थाः ग्रन्थकाराश्च। जनसंख्या। पर्यावरणम्। मानवधिकारः। भारते संस्कृतविश्वविद्यालयाः। महिलासशक्तीकरणम्। समसामयिकविषयाः। उत्तराखण्डस्य समसामयिकी, उत्तराखण्डस्य भौगोलिकं परिदृश्यम्, वनस्पतयः। उत्तराखण्डराज्य–आन्दोलनम्, प्रमुखपर्यटनस्थलानि धार्मिकस्थलानि, शिक्षासंस्थाः, मेलापकानि पर्चाणि च।

(ग) मानसिकयोग्यता 50 प्रश्न

संख्याः, अक्षरश्रृंखला च। कोडिंग डिकोडिंग च। रक्तसम्बन्धः। दिशापरीक्षणम्। श्रेणीक्रमः अनुक्रमः च। दिनपत्रिका। घट्यः। दर्पणः, जलप्रतिबिम्बश्च। चित्रपूर्तिः। चित्रगणना। तार्किक–प्रहेलिकाः। सामान्य–मानसिक–योग्यता। विश्लेषणात्मक–तर्कशक्तिः।

(घ) शिक्षणाभिवृत्तिः, अभिचेतना च 50 प्रश्न

(निम्नांकित–शैक्षणिक–परिस्थितिषु आधारितः शैक्षणिक–विवेकः चिन्तनाभिक्षमतायाः प्रमुखबिन्दश्च समाहिताः भविष्यन्ति।)

शिक्षण–अधिगमयोः परिस्थितिः। शिक्षण–प्रक्रियायाः प्रकृतिः। शिक्षक–विद्यार्थी–केन्द्रित–शिक्षणस्य प्रतिमानानि। शिक्षणपरिस्थितौ शिक्षकस्य विद्यार्थिनश्च भूमिका। प्रभाविशिक्षणम्। नवाचारिशिक्षणस्य आवश्यकता महत्वं च। अधिगम–प्रभावकारकाणि तत्त्वानि। अधिगमः अभिप्रेरणा च। वैयक्तिकी भिन्नता। शैक्षिकपरिस्थितेः प्रभाविसंचालनाय नेतृत्त्वगुणाः। शिक्षणे सम्प्रेषणस्य आयामाः समस्याश्च। प्राथमिकमाध्यमिकस्तरस्य शिक्षासम्बद्धाः प्रयासाः (भारतीयसन्दर्भे)। विश्वविद्यालयशिक्षा संस्थाः। संस्कृताध्यापकः। पर्यावरणशिक्षा। साक्षरता, जनसंख्याशिक्षा। मूल्यपरकशिक्षा। सुविधावंचितवगार्णां समस्याः समाधानस्य उपायाः। दूरस्थशिक्षा, मुक्त–अधिगमः, वैकल्पिकी शिक्षा व्यवस्था च। भारतीयसन्दर्भे शैक्षिक–आयोगाः–राधाकृष्णन्–आयोगः 1948–49, मुदालियर–आयोगः, 1952, संस्कृतायोगः 1956–57, कोठारी–आयोगः–1964–66 इत्येतेषां सामान्यपरिचयः। शिक्षानीतयः 1968, 1986, 2020।

परीक्षातिथि–पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षा 01 जून, 2025 दिनांके भविष्यति।

प्रश्नभाषा–प्रश्नपत्रं संस्कृतभाषायां भविष्यति।

परीक्षावधिः– शिक्षाशास्त्रिप्रवेशपरीक्षायारवधिः सार्धद्विहोरापर्यन्तमस्ति (2:30घंटा)

यस्मिन् द्विशतं (200) बहुविकल्पीयाः वस्तुनिष्ठात्मकाः प्रश्नाः भविष्यन्ति।

आवेदनपत्रपूरणनिर्देशाः

प्रार्थिनः पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षायां प्रवेशार्थं विहितम् आवेदनपत्रं विश्वविद्यालयस्य वैबसाइटमाध्यमेन प्राप्तुं शक्यते। त्रुटिपूर्णम्, अपूर्णं, निश्चिततिथेरनन्तरं प्राप्तं वा आवेदनपत्रं न स्वीकरिष्यते। पू0शि0शा0 परीक्षायाम् उत्तीर्णाः प्रार्थिनः एव वरीयताक्रमेण शिक्षाशास्त्रिपाठ्यक्रमे प्रवेशार्हाः भविष्यन्ति। इयं वरीयतासूची केवलं 2025–26 वर्षस्य कृते एव मान्या भविष्यति।

परीक्षा–कक्षे प्रवेशाय परीक्षाकेन्द्रोल्लेखसमन्वितं प्रवेशपत्रं प्रार्थिनः 29 मई, 2025 दिनांकात् परं विश्वविद्यालयस्य वेबसाइट **www.usvv.ac.in.** माध्यमेन प्राप्तुमर्हन्ति।

प्रवेशपत्रे लुप्ते/नष्टे जाते सति प्रवेशपत्रस्य द्वितीयप्रतिलिपिः विंशतिः रूप्यकैः (20) परीक्षाकेन्द्रात् प्राप्तुं शक्यते।

पूर्वशिक्षाशास्त्रिपरीक्षा निर्देशिका सावधानतया पठनीया स्वकीयपात्रताया अवबोधनान्तरमेव अभ्यर्थिना प्रार्थनापत्रं प्रपूरणीयम्। एकतः अधिकानि प्रपूरितावेदनपत्राणि प्रवेशपात्रतां निरस्तां करिष्यन्ति।

1. आवेदनपत्रं केवलं बालपेनद्वारा स्वहस्तलेखेन स्पष्टतया पूरणीयम्।
2. दशमकक्षायाः, द्वारशकक्ष्यायाः शास्त्री/बी.ए (संस्कृत) आचार्य/एम.ए. (संस्कृतं) इत्यादिपरीक्षाणां स्वसत्यापित – छायाप्रतिरूपेण अंकतालिकाः प्रमाणपत्राणि च अवश्यमेव योजनीयाः।
3. पू.शि.शा परीक्षायां प्रवेशार्थिनः बालपेन/नील/कृष्णवर्णीयं स्वयम् आनयेयुः।
4. पू.शि.शा. परीक्षायाम् अवैधसाधनानि अवलम्बन्, उत्तराणि लेखितुम अन्यतः साहाय्यं प्राप्नुवन् अनुशासनहीनतां वा प्रदर्शयन् परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्षेण सद्य परीक्षायाः बहिष्कारिष्यते यथाविधि दण्डा वा प्रादास्यते। छायाचित्रण सह वैषम्ये सति सन्देहे जाते वा परीक्षातः निलम्बनम्/प्रवेशात् निलम्बनम्/विधिवद्दण्डनं वा करिष्यते। तदर्थ छात्रः स्वयम् उत्तरदायी भविष्यति।

12.(अ) आवेदनपत्रेण सह आवश्यकसंलग्नकपत्राणि

1. परिसरविषयकप्रमाणपत्रम् (केवलम् उ0सं0वि0वि0 परिसरस्य छात्राः एव पूरयेयुः)
2. आयुसूचकप्रमाणपत्रस्य स्वयं सत्यापितप्रतिलिपिः।
3. शास्त्री/आचार्य/बी.ए. (संस्कृत) एम.ए. (संस्कृत) परीक्षाप्राप्तांकानां स्वयं सत्यापितप्रतिलिपिः।
4. आरक्षितवर्गीयच्छात्राणां कृते आरक्षणसम्बन्धिप्रमाणपत्रम्।
5. (पंजीकृतचिकित्सकेन प्रदत्तं) स्वास्थ्यविषयकं प्रमाणपत्रम् अनिवार्यम्। (प्रवेशपरामर्शसमये उत्तीर्ण छात्रैः देयम्)
6. सर्वाण्यपि पत्राणि निर्दिष्टे पिहितपत्रे संस्थाप्य मुख्यपिहितपत्रद्वारा प्रेषणीयम्।

12.(ब) आवेदनपत्रप्रेषणक्रमः

1. आवेदनपत्रम्
2. परिसरविषयकप्रमाणपत्रम् (उ0सं0वि0वि0 परिसरस्य छात्राः एव पूरयेयुः)
3. आयुसूचकं प्रमाणपत्रम्
4. आरक्षणप्रमाणपत्रम् (यदि अपेक्षितम्)
5. उत्तीर्णपरीक्षाप्राप्ताकानां स्वयंसत्यापित–प्रतिलिपयः।
6. स्वास्थ्यविषयकं प्रमाणपत्रम् (परीक्षोपरान्तप्रवेशसमये)

विशेष सूचना–

1. डाकविभागीयविलम्बार्थ विश्वविद्यालयः उत्तरदायि न भविष्यति।
2. पूर्वशिक्षाशास्त्री. परीक्षायै आवेदनपत्रे असत्यविवरणसूचनेन, अन्येन केनापि अवैध–उपायेन शिक्षाशास्त्रीपाठ्यक्रमे प्रवेशं लभमानः छात्रः तथ्ये ज्ञाते सति पाठ्यक्रमात् तत्कालमेव निसारयिष्यते।

आवश्यक सूचनाएं हिन्दी में

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पहले बुकलेट को ध्यान से पढ़ें। इस पुस्तिका में अनेक प्रकार की सूचनाएं हैं जो प्रवेश से सम्बन्धित हैं।
2. आवेदन–पत्र में दी गयी सूचना का सत्यापन परीक्षा और प्रवेश के समय होगा। किसी भी प्रकार की असत्य सूचना देने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा से वंचित करना/निरस्त करना भी इसमें शामिल है।
3. आवेदन–पत्र पर नाम व तिथि सहित फोटो साफ और नया लगाएं। तीन माह से पहले खिंचवाया गया फोटो पुराना माना जाएगा और परीक्षा के समय/प्रवेश के समय यदि फोटो नहीं मिलान करेगा तो परीक्षा से निष्कासन/कानूनी कार्यवाही अथवा/प्रवेश निरस्तीकरण भी संभव हो सकता है।
4. प्रवेश परीक्षा वर्ष 2025–26 की वरीयता सूची केवल वर्ष 2025–26 के लिए ही मान्य होगी।
5. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र 24 मई, 2025 सायं 5:00 बजे तक कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के कार्यालय में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
6. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में आपका नाम अंग्रेजी के प्रथम अक्षर यथा SURESH=(S) अवश्य लिखा जाय तथा श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ0 न लिखा जाय।
7. आरक्षण एवं अधिभार अंकों तथा परिसर सम्बन्धी प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के प्रारूप निर्देशिका में दिये गये हैं। अभ्यर्थी तदनुसार ही अपने प्रमाण पत्र कम्प्यूटर से बनाकर सत्यापित प्रति ही प्रेषित करें।
8. यदि अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन के साथ आरक्षण/अधिभार अंक सम्बन्धी प्रमाण पत्र सत्यापित कर नहीं भेज पाते है तो प्रवेश/प्रवेश परामर्श के समय तत्सम्बन्धी कोई प्रमाण–पत्र/दावा मान्य नहीं होगा।
9. छायाचित्रों को स्टेपल न करें, गोंद से चिपकाएं।
10. आवेदन पत्र उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.usvv.ac.in से डाउनलोड करके वित्त नियन्त्रक, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के पक्ष में निर्धारित शुल्क का डिमाड ड्राफ्ट बनाकर, कुलसचिव उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, बहादराबाद, हरिद्वार पिनकोड 249402 के पते पर प्रेषित किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार

1. परिचय–

उत्तराखण्ड शासन ने अधिसूचना संख्या 486/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। राज्य स्थापना के पूर्व प्रदेश के वे समस्त संस्कृत महाविद्यालय जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गए। उत्तराखण्ड भारत गणराज्य का एक मात्र राज्य है जिसने संस्कृत को दूसरी राजभाषा घोषित किया है। उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या केन्द्र के रूप में सुपरिचित अग्रणी संस्था है। जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय के रूप में यह विश्वविद्यालय स्थापित है। विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत छात्राध्यापकों के माध्यम से संस्कृत शिक्षा, एक नवीन दिशा को प्राप्त करेगी। शिक्षाशास्त्री कक्षा में प्रवेश पूर्व शिक्षाशास्त्री परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा का माध्यम केवल संस्कृत ही होगा।

2. शिक्षाशास्त्री (बी0एड0) पाठ्यक्रम

शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम की अवधि दो शैक्षिक वर्ष है। शिक्षण एवं परीक्षा का माध्यम केवल संस्कृत है। आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी भली भांति विचार करने के उपरान्त ही आवेदन करें। प्रवेश के बाद शिक्षण और परीक्षा दोनों ही संस्कृत माध्यम से ही होगी।प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का नियमित अध्ययन अनिवार्य है। नियमित पाठयक्रम से तात्पर्य है :–

(1) विद्यार्थी उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में दो शैक्षिक वर्ष में दिये गये कक्षा व्याख्यानों मे से न्यूनतम 80 प्रतिशत व्याख्यानों में उपस्थित रहेगा। सम्पूर्ण अवधि मे केवल बीस दिन का अवकाश (आकस्मिक तथा रुग्णावकाश) नियमानुसार कुलपति तथा विभागाध्यक्ष की विशेष अनुमति से ही दिया जा सकता है। बिना सूचना तथा अनुमति के दस दिन लगातार अनुपस्थिति के कारण छात्र का नाम काटा जा सकता है।

(2) छात्र/छात्राओं को दो शिक्षण विषय लेने होंगे–

1. संस्कृत
2. एक आधुनिक विद्यालय विषय यथा– हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक विषय में से कोई एक।

(3) पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है– 1.सैद्धान्तिक 2. प्रायोगिक। प्रश्नपत्रों की संख्या तथा प्रत्येक भाग के लिए न्यूनतम अंक समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यविवरण के अनुसार होंगे।

3.पूर्व शिक्षाशास्त्री परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता –

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से **10+2+3** वर्षीय पाठ्यक्रम में शास्त्री या बी.ए. (संस्कृत मुख्य विषय के रूप में) या आचार्य/एम.ए (संस्कृत) या तत्समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक सहित उत्तीर्ण।

(2) किसी भी विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त परीक्षासंस्था द्वारा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक सहित, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत सहित) के साथ (सेतु परीक्षा)/आचार्य (प्रथम वर्ष)/एम.ए. (संस्कृत) प्रथम वर्ष। अपेक्षित न्यूनतम 50 प्रतिशत की अर्हता हेतु शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत सहित) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के साथ आचार्य प्रथम वर्ष/एम.ए. (संस्कृत) प्रथम वर्ष/सेतु परीक्षा के अंक नहीं जोड़े जायेगें। केवल शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत) के अंक ही प्रतिशत गणना के आधार होंगे।

(3) अनु0जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए अन्य शर्तों सहित उपर्युक्त परीक्षाओं मे 45 प्रतिशत अंक प्राप्ति अनिवार्य है।

(4) आवेदन पत्र के साथ अर्हता–परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण संलग्न होने चाहिए। यदि परीक्षाफल घोषित न हुआ हो तो प्रवेश के समय साक्षात् अथवा गोपनीय परिणाम सम्बन्धित प्रमाणपत्र आदि विश्वविद्यालय परिसर में जमा करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा अन्यथा प्रवेश की अर्हता निरस्त हो जायेगी।

(5) शास्त्री/बी.ए. में संस्कृत के अतिरिक्त किसी विद्यालय विषय/भाषा का पूर्ण प्रश्न पत्र के रूप में अध्ययन किया हो।

(6) कुल शिक्षण वर्षों की अवधि 15 वर्षों से कम न हो।

(7) अप्रकाशित परीक्षा परिणाम वाले अभ्यर्थियों के अस्थायी प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा

टिप्पणी – (1) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.) आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) छात्रों व विकलांग छात्रों के प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता में नवीन शासनादेशानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

(2) परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जो अर्हता सम्बन्धी अपने मूल प्रमाणपत्रों/अंक पत्रों को प्रवेश के समय प्रस्तुत कर सकेंगे।

4.परीक्षाकेन्द्र

शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय मुख्यालय हरिद्वार के केन्द्रों पर होगी। केन्द्र निर्धारण का अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा। केन्द्र निर्धारण के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

5. चयन विधि

शिक्षाशास्त्री कक्षा में प्रवेश पूर्व–शिक्षा–शास्त्री (पू.शि.शा.प.) नामक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होगा । प्रवेश चाहने वाले सभी छात्र–निर्धारित आवेदन–पत्र पर आवेदन करें। सभी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। प्रवेश पत्र सभी अर्ह छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से निकालना होगा। प्रवेश के लिए योग्यता सूची बनाई जाएगी। जो कि विश्वविद्यालय में तथा वेबसाइट में प्रदर्शित की जायेगी।

6 आरक्षित स्थान

(1) शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय परिसर में निर्धारित छात्र संख्या 50 है।

(2) निर्धारित कुल स्थानों में से 80 प्रतिशत स्थान परम्परागत धारा के शास्त्री/आचार्य तत्समकक्ष परम्परागत परीक्षा के छात्रों के लिए तथा शेष 20 प्रतिशत आधुनिक धारा (बी.ए/एम.ए संस्कृत) के छात्रों के लिए आरक्षित है।

(3) बी.ए. (संस्कृत) परीक्षा पास करने के बाद आचार्य द्वितीय वर्ष परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी परम्परागत धारा में माने जायेंगे।

7. आरक्षित स्थान

(क) आरक्षण दोनों धाराओं (परम्परागत एवं आधुनिक) की कुल संख्या में उत्तराखण्ड सरकार के नियमानुसार निम्नलिखित प्रकार से देय होगा–

| | |
|---|---|
| (1) अनुसूचित जाति | 19 प्रतिशत |
| (2) अनुसूचित जनजाति | 04 प्रतिशत |
| (3) अन्य पिछड़ा वर्ग | 14 प्रतिशत |
| (4) आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) | 10 प्रतिशत |

(ख) उर्ध्व आरक्षण की श्रेणियों में शासनादेश के अनुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(ग) उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के परिसर से नियमित अध्ययन कर चुके शास्त्री/आचार्य उत्तीर्ण छात्रों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। (विश्वविद्यालय परिसर से शास्त्री/आचार्य कक्षा पूर्ण रूप से अध्ययन कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को ही उक्त लाभ देय होगा।

(घ) NSS सम्बन्धी अधिभार अंक राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन देहरादून के दिशा निर्देशों के अनुसार देय होंगे।

टिप्पणी– आरक्षण एवम् अधिभार अंक सम्बन्धी लाभ हेतु प्रमाण पत्र एवं संलग्नक आवेदन पत्र के साथ ही निर्धारित प्रारूप में ही लगाएं।

7.–आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य तथ्य–

1. केवल अर्ह छात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। यदि कोई छात्र निर्धारित योग्यता के अभाव में भी पूर्व शिक्षाशास्त्री परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसके परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा।
2. शिक्षाशास्त्री (बी0एड0) का पाठ्यक्रम एन.सी.टी.ई द्वारा मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय परिसर में निर्धारित संख्या के अनुसार वरीयता क्रम से ही प्रवेश दिया जायेगा।
3. प्रवेशार्हता की जांच और आरक्षणादि के निश्चय का निर्णय विश्वविद्यालय मुख्यालय के अधीन है।
4. प्रवेश के विषय मे विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय ही अन्तिम होगा।
5. न्यायिक विषयों में हरिद्वार न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार होगा।
6. उत्तरपुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
7. पूर्वशिक्षाशास्त्री परीक्षा में प्रवेश के समय प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश नही दिया जायेगा।

8. प्रश्नपत्रों की रूपरेखा–

प्रवेश परीक्षा '200' अंक की होगी जिसमें चार खण्डों में 50–50 अंको के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे

| | | |
|---|---|---|
| (क) संस्कृत भाषा दक्षता | – | 50 अंक |
| (ख) सामान्य ज्ञान | – | 50 अंक |
| (ग) मानसिक योग्यता | – | 50 अंक |
| (घ) शैक्षिक अभिवृत्ति शैक्षिक अभिचेतना | – | 50 अंक |

10. पाठ्यक्रमः–

(क) संस्कृत भाषा दक्षता 50 प्रश्न,

उच्चारण स्थान। सन्धि (स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग)। शब्दरूप–अजन्तपुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग–अकारान्त, आकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, ऋकारान्त, एकारान्त, ऐकारान्त, ओकारान्त व औकारान्त। सर्वनाम शब्द –अस्मद, युष्मद्, इदम्, तत्। यत्, सर्व, किम् (तीनों लिंगों में)। हलन्तपुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग–तकारान्त–(भवत्, जगत्, सरित्) नकारान्त–राजन्, पथिन्,सीमन्, नामन्) षकारान्त–प्रावृष्, सकारान्त–पयस् विद्वस्, चकारान्त–वाच्। धातुरूप–(पांच लकारों में – लट्, लोट्, लृट्, लड़् विधिलिङ्) भू, हस्, पा, दृश्, गम्, घ्रा, पच्, स्मृ, श्रु–श्रवणे, वस्, व्यज्, सेव (आत्मनेपदि) एध्–वृद्धौ, अद्–भक्षणे, सु, हन्, भी, दिव्, इष्, रुध, तन्, क्री, चुर्। तद्धित अपत्यार्थक– मतुप्, वतुप्। कृदन्त– क्त्वा, ल्यप्, अनीयर, शतृ, शानच्। स्त्री प्रत्यय–टाप् ङीप्, ङीस्। समास (सभी)। प्रक्रियाएं–णिच्, सन्। वाच्य परिवर्तन (कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य)। कारक एवं उपपदविभक्ति। वाक्यशुद्धि। रस। छन्द– अनुष्टुप, आर्या, वशंस्थ, उपजाति, शार्दूलविक्रीडितम्, स्रग्धरा, त्रोटक, शिखरिणी, स्रग्विणी, मन्दाक्रान्ता, मालिनी। अलंकार– अनुप्रास, यमक, रूपक, विशेषोक्ति, श्लेष, अर्थान्तरन्यास। संख्याएं – 1 से 100 तक। काव्य लक्षण (मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, आनन्दवर्धन)। काव्य भेद– (दृश्य, श्रव्य, चम्पू) काव्य के सम्प्रदाय।रूपक भेद। भारतीय दर्शन परिचय। प्रमुख संस्कृत ग्रन्थ और ग्रन्थकार।

(ख ) सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न

| | | |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान | – 30 अंक |
| उत्तराखण्ड राज्य सामान्य ज्ञान | – 20 अंक |

समग्र अवलोकन– (भौगोलिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक)।.राष्ट्रीय प्रतीक। भारतीय इतिहास (घटनाएं एवं तिथियां)।. भारतीय संविधान। भारतीय संस्कृति। संयुक्त राष्ट्र सघं एवम् अन्तर्राष्ट्रीय संगठन। खेलकूद। राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाएं। विश्वस्तरीय महत्वपूर्ण ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार।जनसंख्या। पर्यावरण। मानवधिकार। भारत में संस्कृत विश्वविद्यालय। महिला संशक्तीकरण। समसामयिक विषय। उत्तराखण्ड समसामयिकी, उत्तराखण्ड भौगोलिक परिदृश्य, वनस्पतियां। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन, प्रमुख पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थल, शिक्षा संस्थाएं, मेले और पर्व।

(ग) मानसिक योग्यता 50 प्रश्न

संख्या तथा अक्षर श्रृंखला। कोडिंग एवं डिकोडिंग। रक्तसम्बन्ध। दिशापरीक्षण। श्रेणीक्रम और अनुक्रम। कलैण्डर। घड़ियां। दर्पण एवं जलप्रतिबिम्ब। चित्रपूर्ति। चित्रगणना। तार्किक पहेलियां। सामान्य मानसिक योग्यता। विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति।

(घ) शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिचेतना 50 प्रश्न

(निम्नांकित शैक्षणिक परिस्थितियों पर आधारित शैक्षणिक विवेक एवं चिन्तन की अभिक्षमता के प्रमुख बिन्दु समाहित होंगे)

शिक्षण अधिगम की परिस्थिति। शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति। शिक्षक एवं विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण के प्रतिमान। शिक्षण की परिस्थिति में शिक्षक एवं विद्यार्थी की भूमिका। प्रभावी शिक्षण। नवाचारी शिक्षण की आवश्यकता एवं उसका महत्व। अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। अधिगम एवं अभिप्रेरणा। वैयक्तिक भिन्नता। शैक्षिक परिस्थितियों के प्रभावी संचालन हेतु नेतृत्व गुण, शिक्षण में सम्प्रेषण के आयाम एवं समस्याएं। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा से जुड़े प्रयास (भारतीय सन्दर्भ में)। विश्वविद्यालय शिक्षा की संस्थाएं। संस्कृत अध्यापक। पर्यावरण शिक्षा। साक्षरता एवं जनसंख्या शिक्षा। मूल्यपरक शिक्षा। सुविधा वंचित वर्गों की समस्याएं और समाधान के उपाय। दूरस्थशिक्षा, मुक्त अधिगम तथा वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थाएं। भारतीय सन्दर्भ में शैक्षिक आयोग–राधाकृष्णन् आयोग 1948–49, मुदालियर आयोग– 1952, संस्कृत आयोग–1956–57, कोठारी आयोग–1964–66 का सामान्य परिचय। शिक्षा नीति– 1968, 1986, 1990, 199, 2020।

परीक्षा तिथि–पूर्व शिक्षाशास्त्री प्रवेश परीक्षा तिथि 01 जून, 2025 (रविवार) को होगी।

प्रश्नपत्र की भाषा–प्रश्न पत्र संस्कृत भाषा में होगा।

परीक्षा अवधि– शिक्षाशास्त्री (बी0एड0) प्रवेश परीक्षा की अवधि 2:30 घण्टे की होगी, जिसमें 200 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

आवेदन–पत्र भरने के निर्देश

प्रार्थी पूर्व शिक्षाशास्त्री परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदनपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, निश्चित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पू0शि0शा0 परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही वरीयता क्रम से शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पा सकेंगे। यह वरीयता सूची केवल वर्ष 2025–26 के लिए ही मान्य होगी।

परीक्षा–कक्ष में प्रवेश हेतु परीक्षा केन्द्र के नामोल्लेख सहित प्रवेश पत्र प्रार्थी 29 मई 2025 के बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.usvv.ac.in.** से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रवेश पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने पर द्वितीय प्रतिलिपि 20/– रू0 शुल्क देकर परीक्षाकेन्द्र से प्राप्त की जा सकती है। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर प्रवेश पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

1. आवेदन पत्र केवल बालपेन से साफ–साफ अपनी लिखाई से भरा होना चाहिए।
2. अपनी दसवीं/बारहवीं एवं शास्त्री/बी.ए. (संस्कृत) अथवा आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) की अंकतालिकायें प्रमाणपत्र तथा जाति प्रमाण–पत्र की एक–एक स्वयं सत्यापित छायाप्रति अवश्य लगाएं।
3. पूर्व शिक्षाशास्त्री परीक्षा में प्रवेशार्थी अपने प्रयोग के लिए नीला/काला बालपैन साथ लाएं। अन्य किसी सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. पूर्व शिक्षाशास्त्री परीक्षा मे अवैध साधनों का प्रयोग करने वाले अथवा किसी से सहायता लेने या देने वाले या अनुशासन भंग करने वाले परीक्षार्थी को केन्द्राध्यक्ष परीक्षा से निष्कासित कर देंगे, यथाविधि दण्ड भी दिया जा सकता है। यदि किसी की फोटो नहीं मिलती है और सन्देह होता है, ऐसी स्थिति में परीक्षा से निलम्बन/प्रवेश से निलम्बन/कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए छात्र स्वयम् उत्तरदायी होगा।
5. परीक्षा भवन में कैलक्यूलेटर, मोबाइलफोन, पेजर, इलेक्ट्रानिक डिवाइस इत्यादि सर्वथा वर्जित है।

12.(अ) आवेदन पत्र के साथ आवश्यक संलग्नक पत्र–

1. परिसर विषयक प्रमाण–पत्र (केवल उ0सं0वि0वि0 परिसर के छात्र ही भरें)।
2. आयु सूचक प्रमाण–पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि।
3. शास्त्री, आचार्य, बी.ए. (संस्कृत) एम.ए.(संस्कृत) परीक्षा प्राप्तांक की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि।
4. आरक्षण–सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि अपेक्षित हो तो)
5. पंजीकृत चिकित्सक द्वारा दिया गया स्वास्थ्य विषयक प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। (प्रवेश परामर्श के समय उत्तीर्ण छात्रों द्वारा देय)।
6. आवेदन पत्र लिफाफे में ही डालकर प्रेषित करें।

(ब) आवेदन पत्र भेजने का क्रम

1. आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ हो।
2. परिसर विषयक प्रमाणपत्र संलग्न हो। (उ0सं0वि0वि0 के छात्र ही भरें)।
3. आयुसूचक प्रमाणपत्र संलग्न हो।
4. आरक्षण प्रमाण–पत्र (यदि अपेक्षित हो)
5. प्राप्तांक की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न हो।
6. स्वास्थ्य विषयक प्रमाणपत्र (प्रवेश के समय) बाद में देना होगा।

विशेषः–

1. डाक के कारण होने वाले विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही होगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी असत्य तथ्यों के आधार पर या अन्य किसी उपाय से शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो वास्तविकता सामने आने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

## आरक्षण एवं अतिरिक्त अंकों हेतु प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

जो अभ्यर्थी अतिरिक्त अंकों के लिए प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहते है वे अपने प्रमाण–पत्र अधोलिखित रूप से तैयार करके फोटोकॉपी की सत्यापित प्रति संलग्न करें। अन्य किसी रूप का प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। जो प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रमाणपत्रों में से आपसे सम्बन्धित हैं उसको भरकर आवेदन पत्र के साथ लगायें। अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर ही दें। अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त/प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जो प्रमाण पत्र नियमों एवं मानकों के अनुसार नही होगे उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

---

### प्रमाण–पत्र–1
(अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..............................................आत्मज/आत्मज श्री....................................................निवासी.. ..............................................................................................................................................................तहसील........................................................ .......................जनपद.................................................................................................उत्तराखण्ड प्रदेश के निवासी है तथा संशोधित शासनादेश 1958 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के है।

हस्ताक्षर सील सहित
दिनांक................................................ जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी

.............................................................................................................................................................................

### प्रमाण–पत्र–2

(विकलांग अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..............................................आत्मज/आत्मज श्री....................................................निवासी.. ..............................................................................................................................................................तहसील........................................................ .......................जनपद.................................................................................................उत्तराखण्ड प्रदेश के विकलांग की श्रेणी में आते हुए भी चर्मरोग, हकलाना, मूकबधिर या नेत्रहीन या अन्य किसी ऐसी स्थिति में व्याधि से ग्रस्त नहीं है। जिससे बच्चों में फैलने या उनके कक्षा शिक्षण में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हों। अभ्यर्थी शिक्षक–प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है।

हस्ताक्षर सील सहित
दिनांक................................................ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

नोटः– न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांग होने का सी0एम0ओ0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

.............................................................................................................................................................................

प्रमाण–पत्र–3

(उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1))–2001
दिनांक 18.7.2001 के अनुसार अन्य पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण–पत्र)
(शासनादेश में उल्लिखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..........................................आत्मज/आत्मज श्री.................................................निवासी.. ...........................................................................................................................................................तहसील................................................... .....................जनपद..........................................................................................उत्तराखण्ड राज्य की (अन्य पिछड़ी जाति का नाम)............................ ........................की जाति के व्यक्ति है यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 की अनुसूची– 1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.........................................उक्त अधिनियम 1994 के अनुसूची–2 (अधिसूचना सं0 22/16/92 का0–2/1995 टी.सी. दिनांक 8 दिसम्बर 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...................................................................तथा इनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम........................................... तहसील...................................................जिला.............................................में सामान्यतया रहता है। यह प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग निरीक्षक श्री.... ........................................................की जांच आख्या.............................................पर जारी किया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| स्थान................................................... | प्रतिहस्ताक्षरित | हस्ताक्षर |
| दिनांक.................................................. | उपजिलाधिकारी | तहसीलदार |
| | सील सहित | सील सहित |

नोटः– अन्य पिछड़ी जाति का लाभ केवल उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18.07. 2001 में उल्लिखित एव शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को ही अनुमन्य होगा। तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र उपजिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

..................................................................................................................................................................................................

प्रमाण–पत्र–4

(प्रतिरक्षा कर्मचारी से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि नं0.........................................................श्री/श्रीमती.............................................आत्मज/आत्मज श्री............. .....................................प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद)...................................................................पर कार्य कर रहे है/कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए/उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी/वह अपंग सेवानिवृत्त हो गये थे तथा श्री/श्रीमती/कु0........................................................... इनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी है।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक...............................................

आफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव
पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

नोटः– न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांग होने का सी0एम0ओ0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र आवश्यक है। अधिकतम 60 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग अभ्यर्थी आवेदन न करें।

..................................................................................................................................................................................................

प्रमाण–पत्र–5

(प्रतिरक्षा कर्मचारी स्वयं अभ्यर्थी होने पर)

प्रमाणित किया जाता है कि नं0..........................................................श्री/श्रीमती./कु0...........................................आत्मज/आत्मज श्री... .................................................प्रतिरक्षा कर्मचारी (पद)....................................................................पर कार्य कर रहे है/कार्य किया/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए है।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक................................................ आफिसर कमाण्डेन्ट/सचिव पुनर्वास सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण–पत्र–6

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती./ ...........................................आत्मज/आत्मज श्री.........................................शासन आलेखानुसार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी है/थे तथा श्री/श्रीमती/कु0...........................................................................इनके पुत्र/पुत्री/पुत्र के पुत्र की अविवाहित पुत्री है।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक................................................ जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी

उपजिलाधिकरी

नोटः– प्रमाण–पत्र वर्तमान समय का होना आवश्यक है।

........................................................................................................................................................................................................

प्रमाण–पत्र–7

(विधवा या तलाकशुदा/परित्यक्त महिला अभ्यर्थी हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती............................................आत्मज/आत्मज श्री.......................................................एक विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला है, इनके पति श्री..................................................................की मृत्यु हो गयी/तलाक/परित्यक्ता दिनांक...........................................................................को कर दिया गया है।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक................................................ उपजिलाधिकरी

नोटः– कानूनी प्रमाण–पत्र की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक है।

........................................................................................................................................................................................................

प्रमाण–पत्र–8

(पुलिस या पी0ए0सी या होमगार्ड या बी0एस0एफ0 या एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 या सी0आर0पी0एफ0 के आश्रितों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती............................................आत्मज/आत्मज श्री............................................................विभाग............ ....................................................पद..............................................................................पर सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत् है/ससम्मान सेवानिवृत्त हुए है/उनकी सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गयी थी/वह अपंग सेवानिवृत्त हो गये थे तथा श्री/श्रीमती/कु0................................ .............................................इनके पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री है।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक................................................ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजलन कमाण्डर पी0ए0सी0,

होमगार्ड, बी0एस0एफ0, एस0एस0बी0२

आई0टी0बी0पी0 सी0आर0पी0एफ0

नोटः– होमगार्ड के लिए प्रमाणपत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षारित ही मान्य होंगे।

........................................................................................................................................................................................................

प्रमाण–पत्र–9

( पुलिस या पी0ए0सी  होमगार्ड या बी0एस0एफ0 या एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 या सी0आर0पी0एफ0 के स्वयं अभ्यर्थी होने पर)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..........................................आत्मज / आत्मज श्री..........................................विभाग.......................................................पद..........................................................................पर सक्रिय पूर्णकालिक स्थाई रूप से सेवारत् है / ससम्मान सेवानिवृत्त हुए है।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक..............................................  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रीजलन कमाण्डर पी0ए0सी0, होमगार्ड, बी0एस0एफ0, एस0एस0बी0

आई0टी0बी0पी0 सी0आर0पी0एफ0

नोटः– होमगार्ड के लिए प्रमाणपत्र केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षारित ही मान्य होंगे।

प्रमाण–पत्र–10

( मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक, नियमित वैतनिक शिक्षण का वार्ड या शिक्षणेत्तर कर्मचारी का वार्ड)

नोट–शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य के प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा निर्गत एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र सहीं एवं विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय अभिलेख के आधार पर है। प्रमाण –पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी अपना पूरा नाम व पद का भी उल्लेख करें।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती..........................................आत्मज / आत्मज श्री..........................................शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय.......................................................में वेतनमान...................................में....................................के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत है या सेवानिवृत्त हो चुके है। अभ्यर्थी श्री / श्रीमती / कु.......................................................इनके पुत्र / पुत्री अथवा पति / पत्नी है।

(सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाय)

प्रमाण–पत्र अभिलेख से सत्यापित कर ही निर्गत करें।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक..............................................  (निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम तथा पद का भी उल्लेख करें)

प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(सील सहित)

(त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिए निर्गत करने वाले अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।)

................................................................................................................................................................

प्रमाण–पत्र–11

( वर्तमान में मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के स्वयं पूर्णकालिक, नियमित वैतनिक शिक्षण का वार्ड या शिक्षणेत्तर कर्मचारी हेतु)

नोट–

1. त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अधिकृत या कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।
2. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के मान्यता प्राप्त (पूर्णकालिक, नियमित पूर्ण वेतनमान पर, वैतनिक स्वयं शिक्षक) शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य का प्रमाण–पत्र उच्च शिक्षा अधिकारी/जि.शि.अ./अपर जिला शिक्षा अधिकारी/सहा. आयुक्त शिक्षा/संयुक्त शिक्षा निर्देशक/अपर शिक्षा निदेशक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा निदेशक/केन्द्रीय शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तभी अंक देय होंगे। वर्तमान वर्ष तक एवं आवेदन करने तक का प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी का होना आवश्यक है। जिसमें आवेदनकर्ता के साथ सम्बन्ध का भी उल्लेख हो।
3. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय तथा पॉलीटेक्निक शिक्षा संस्थानों की स्थिति में स्वयं शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रमाण–पत्र प्राचार्य/प्राचार्य/वि.वि. कुलसचिव/सम्बन्धित सकायाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तथी अंक देय होंगे।
4. वित–विहीन–मान्यता प्राप्त संस्था में कार्यरत एवं स्वंय सेवक के रूप में अशंकालिक तथा बिना वेतनमान मे कार्यरत (मात्र शिक्षण अनुभव पर) होने पर अतिरिक्त अंक देय नहीं होंगे।
5. आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रमाण–पत्र पर नियमानुसार कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी त्रुटिपूर्ण तथा मानकों के प्रतिकूल जमा किये गये प्रमाण–पत्र पर अंक देय नहीं होंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..........................................आत्मज/आत्मज श्री..........................................वर्तमान में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी के रूप में इस विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय....................................................... ...................................में. ...................................के पद पर वेतनमान .......................................में स्थाई रूप से कार्यरत हैं। प्रमाण–पत्र इनके सभी अभिलेख की जांच करने के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

हस्ताक्षर सील सहित

दिनांक.............................................. (निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम तथा पद का भी उल्लेख करें)

प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर (सील सहित)

प्रमाण–पत्र–12

( केवलम् उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयपरिसरस्य आन्तरिकच्छात्राणां कृते)

(छात्राः स्वयमेव प्रपूर्य पृथकः कृत्वा दास्यन्ति)

प्रमाणीक्रियते यत् अहम..............................................सुपुत्र/सुपुत्री........................................................... उत्तराखण्ड–संस्कृत–विश्वविद्यालय–परिसरात्.......................................वर्षे..............................................परीक्षा समुत्तीर्णवान/समुत्तीर्णवती।

कक्षानाम....................................................

अनुक्रमांक....................................................

श्रेणी.................................................................

छात्रस्य हस्ताक्षरम्

प्रतिहस्ताक्षरम्
कुलसचिव
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालय
हरिद्वारम्